गर्भ समापन कानूनन जुर्म नहीं–सुरक्षित गर्भ समापन के लिए सरकारी अस्पताल ही सही!!

कानूनी व सुरक्षित गर्भ समापन महिला स्वास्थ्य का अधिकार

हमारे समाज में परिवार नियोजन की जिम्मेदारी अधिकतर महिलाओं पर रहती है पर क्या किसी ने सोचने की कोशिश की, कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों ? पुरुष आखिर क्यूँ इस जिम्मेदारी से दूर रहते है? और अगर अनचाहा गर्भ हो जाता है तो सारा दोश महिलाओं पर डाल दिया जाता है!

उत्तर प्रदेश में करीब 18 प्रतिशत (NFHS-4) महिलाये जो कि बच्चों के जन्म में अन्तर या अगला बच्चा नहीं चाहती है और फिर भी अनचाहा गर्भ ठहर जाता है ! उत्तर प्रदेश में करीब 50 लाख महिलाएं गर्भवती होती है जिसमे करीब 6 लाख गर्भ समापन कराती है जिसमे स्वतः गर्भपात भी शामिल है। कुल मातृ मृत्यु दर में से करीब 8 से 12 प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु असुरक्षित गर्भ समापन के कारण से हो जाती है!

मातृ मृत्यु दर में बढ़ोत्तरी को रोकने व असुरक्षित गर्भ समापन के प्रतिकूल परिणाम को रोकने के प्रयासों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1971 में गर्भ समापन कानून लाया गया !

क्या है भारत में गर्भ समापन कानून –

1971 में चिकित्स्कीय गर्भ समापन कानून (मेडिकल टर्मीनेशन आफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971) बनाया गया। तथा वर्ष 2002 में कानून में आवश्यक संशोधन किये गये हैं। इस कानून के अन्तर्गत महिलायें कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी अस्पताल में या सरकार की ओर से अधिकृत किसी भी चिकित्सा केन्द्र में अधिकृत व प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गर्भसमापन करा सकती है।

गर्भ समापन किन स्थितियों में कराया जा सकता है ?

- गर्भ की वजह से गर्भवती महिला के जीवन या स्वास्थ्य के लिए जोखिम हो !
- महिला के साथ बलात्कार के उपरांत गर्भ ठहर गया हो !
- विवाहित महिला के गर्भ निरोधक साधनों की विफलता के उपरांत गर्भ ठहर गया हो !
- जन्म लेने वाले बच्चे में शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांगता का जोखिम है !

गर्भ समापन के लिए कानूनी समय सीमा क्या है ?

- 20 सप्ताह तक कानूनी रूप से गर्भ समापन किया जा सकता है !
- 12 सप्ताह से कम गर्भवस्था होने पर 1 पंजीकृत चिकित्सक की राय से गर्भ समापन किया जा सकता है!
- 12 से 20 सप्ताह के बीच गर्भवस्था होने पर 2 पंजीकृत चिकित्सक की राय से गर्भ समापन किया जा सकता है!

hanbill SA
Wednesday, March 04, 2020 1:12:45 PM

गर्भ समापन के तरीके क्या है ?

गोलियों के माध्यम–7 सप्ताह या 49 दिनों की गर्भवस्था के दौरान गोलियों के माध्यम से कानूनी अनुमति है किन्तु इसके लिए सरकारी डॉक्टर या पंजीकृत डॉक्टर की सहमति या राय लेना जरुरी है और दवा देने वाला सेवा प्रदाता, डॉक्टर के पर्चे के प्रस्तुत करने पर ही दवा दे सकता है !

ऑपरेशन के द्वारा– 7 से 15 सप्ताह के गर्भावस्था के लिए एमवीए या मैनुअल वैक्कूम एस्पिरेशन द्वारा तथा 15 से 20 सप्ताह के गर्भवस्था के लिए एनिस्थिसिया के तहत डिलेटेशन और इलेक्ट्रिक वैक्कूम एस्पिरेशन के द्वारा किया जाना चाहिए !

गर्भ समापन कौन कर सकता है ?

मेडिकल टर्मीनेशन आफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत केवल पंजीकृत चिकित्सक (एमबीबीएस / एलोपेथ) जो कि अधिनियम के अनुरूप स्त्री रोग में प्रशिक्षित या अनुभव रखता हो

सुरक्षित गर्भ समापन सेवायें कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ?

- सरकार द्वारा स्थापित या संचालित अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर का हो जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पताल !
- मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम, अस्पताल जिसका कि मेडिकल टर्मीनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है और जिसमें आप्रेशन टेबिल, उपकरण, एनिस्थिसिया, नसबंदी के उपकरण और आपातकालीन उपयोग के लिए दवाओं का होना अनिवार्य है!

गर्भ समापन के लिए सहमति ?

- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की हो, मानसिक रूप से ठीक हो तो सहमति फार्म पर केवल महिला की सहमति ही काफी है !
- नाबालिग होने या मानसिक रूप से बीमार होने पर, सहमति फार्म पर संरक्षक की सहमति आवश्यक है !
- गर्भ समापन के लिए महिला द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखना होता है!

अन्य कानूनी प्राविधान

चिकित्सनकीय गर्भ समापन अधिनियम, 1971 एवं संशोधित अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार इस कानून का उल्लंघन करने पर 2 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

सुरक्षित गर्भ समापन में पुरुषों को आगे आना है – MTP कानून के प्रति जागरूक बनाना है!

गर्भ निरोधक साधन अपनाओ– परिवार को स्वस्थ्य बनाओ!

कानूनी व सुरक्षित गर्भ समापन – महिला स्वास्थ्य का अधिकार!

महिला स्वास्थ्य अधिकार अभियान–राज्य सचिवालय

ए –240 इंदिरा नगर लखनऊ 226016

फोन –0522– 2310747, 2310860 ईमेल –sahayog@sahayogindia.org

hanbill SA
Wednesday, March 04, 2020 1:12:46 PM